न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः– 91/2020

प्रार्थीगणः–

1. जबराराम पुत्र श्री दलाराम
2. विशनाराम पुत्र श्री गणेशजी

जातियान पुरोहित निवासीय भीमगोडा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. चन्दनाराम पुत्र गोकिया जाति सुथार
2. दौलाराम पुत्र गोकिया जाति सुथार
3. वचनाराम पुत्र गोकिया जाति सुथार
4. हेमाराम पुत्र गोकिया जाति सुथार
5. पाताराम पुत्र मिसराराम जाति माली
6. भीमाराम पुत्र मिसराराम जाति माली
7. विश्नाराम पुत्र मिसराराम जाति माली
8. राजस्थान सरकार जरीये भुमि धारक तहसीलदार सिवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :–**1. श्री महेन्द्रसिंह सोढा अधिववक्ता प्रार्थीगण**
2.श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 5 ता 7

–: आदेश :–

दिनांक :– 04.07.22

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 961 रकबा 05.9651 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा भीमगोडा पटवार मण्डल कुसीप तहसील सिवाना में अवस्थित है।प्रार्थी के जोत भूमि मे पहुचने हेतु खेत खसरा संख्या 1414/962 रकबा 02.1853 हैक्टयर ,खसरा संख्या 965 रकबा 01.0198 खसरा संख्या 964 रकबा 01.0683 हैक्टयर मे से आवगमन करता है उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2022/117 दिनांक 31.01.2022 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा उनकी खातेदारी खेत खसरा संख्या 1414/962 व 1415/962 के माठ के सहारे रास्ता कायम किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। विप्रार्थी संख्या की 5 ता 7 की ओर से वकील श्री किशोरीलाल सोनी उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश कर मौके पर प्रार्थी के कथनानुसार रास्ता उपलब्ध न होकर जबाब के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया बरंग हरा अ से ब कटाण मार्ग से जुडता खसरा संख्या 970 मे से प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 961 मे आवगमन हेतु सबसे निकटतम एवं लघुत्तम रास्ता एवं उसी के अनुरूप रास्ता दिये जाने हेतु कथन किया ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251 A पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी के सरहद मौजा भीमगोडा पटवार मण्डल कुसीप के खेत खसरा संख्या 961 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1414/962, 965, 964, 1415/962 के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है साथ ही उक्त रास्ते को घोषित किये जाने बाबत खेत खसरा संख्या 1414/962 व 1415/962 के खातेदारो अर्थात् विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा लिखित सहमति भी न्यायालय श्री में पेश की गई है। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब का खण्डन करते बताया कि विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जबाब के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये बरंग हरा अ से ब खसरा संख्या 970 में दर्शाया गया रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है विप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की दूरी लघुत्तम नहीं होती है , जबाब के संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये बरंग हरा अ से ब ही लघुत्तम रास्ता है अतः विप्रार्थीगण का जबाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनके खातेदारी खेत में आवगमन हेतु जबाब के संलग्न परिशिष्ट'ब' अनुसार रास्ता दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन व गहनता से मनन किया । प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये रास्ते के दिये जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति व स्वीकृत दी गई है। विप्रार्थीगण संख्या 5 ता 7 के वकील द्वारा अपने जबाब में कथन किया गया है कि जबाब के संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया गया हरा नजदीकी रास्ता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2022 में बताया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए अनुसार मार्क ए से बी की लम्बाई लगभग 1125 फीट है खसरा संख्या 964 व 965 विप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है ए से बी मार्क रास्ता खसरा संख्या 964 व 965 की उत्तरी माठ पर दर्शाए गया है मौके पर इस मार्क पर खसरा संख्या 964 में उत्तर पूर्वी ईशान कोण में

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

एक बडा टांका बना हुआ है जो करीब 3 वर्ष पुराना है, उपस्थित प्रार्थीगण के बताये अनुसार खसरा संख्या 964 व 965 के दक्षिणी माठ पर रास्ता चाहा गया है जिसे नक्शा में मार्क संख्या सी से डी,डी से ई, ई से एफ द्वारा दर्शाए गया है जिसमें खसरा संख्या 964 व 965 में रास्ते की लम्बाई सी से डी 472 फीट ,डी से ई की लम्बाई 20 फीट ,ई से एफ की लम्बाई 60 फीट हुई है अतः खसरा संख्या 983 गै.मु.रास्ते से खसरा संख्या 961 तक जाने के लिये रास्ता मार्क संख्या सी,डी,ई,एफ की लम्बाई कुल 1152 फीट बनती है । विप्रार्थीगण द्वारा बताया गया जाने पर अमरतिया बेरा से जाने वाले मुरडिया रोड से खसरा संख्या 961 में आवगमन हेतु खसरा संख्या 970 मे से लम्बाई 490 फीट की बनती है साथ ही तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट में सलग्न प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शा विकल्प संख्या 2 में विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा दिये गये बिना प्रतिफल सहमति की बाद मार्क सी से डी की रास्ते की कुल लम्बाई 472 फीट ही बनती है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते पर मौकें पर टांका बना हुआ है परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा विकल्प संख्या 2 में नजरी नक्शा में दर्शाय बिन्दू संख्या सी से डी,डी से ई, ई से एफ की कुल दूरी 1152 फीट है परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 खातेदार खेत खसरा संख्या 1414/962 व 1415/962 की बिना प्रतिफल सहमति से प्रस्तावित रास्ते की दूरी 472 फीट है बनती है विप्रार्थी संख्या 5 ता 7 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब के सलंग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित रास्ते की दूरी 490 फीट बनती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2022/117 दिनांक 31.01.2022 के संलग्न विकल्प संख्या 2 दर्शाये सी से डी,डी से ई व ई से एफ बरंग गुलाबी स्वीकार किया प्रार्थीगण के खेत में आवगमन हेतु ख्सरा संख्या 964, 965,1414/962/1415/962 से से 2 गट्ठा चौडाई रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी। प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। चूकि विकल्प संख्या 2 में दर्शाय बरंग गुलाबी डी से ई व ए से एफ द्वारा बिना प्रतिफल लिये प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी खेत खसरा संख्या 961 में आवगमन हेतु रास्ता दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है अतः बिन्दू संख्या डी से ई व ई से एफ खेत खसरा संख्या 1414/962 व 1415/962 को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी.तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 04.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना